

GOOD  **YEAR**

गुडइयर इंडिया लिमिटेड

सौआईप्स: L25111HR1961PLC008578

पंजीकृत कार्यालय: मधुरा रोड, बल्लभगढ़ (जिला फरीदाबाद) - 121004, हरियाणा, भारत

टेलीफोन: 0129-6611000, फैक्स: 0129-2305310

ई-मेल: goodyearindia_investorcell@goodyear.com, वेबसाइट: www.goodyear.co.in

नोटिस

- सेवी (भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड) के 29 और 47 के विनियम, 2015 (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के लिए सूचना एतद् द्वारा दी जाती है कि गुडइयर इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 07 दिसंबर 2020 को होगी, अन्य बातों के साथ कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश की घोषणा, यदि कोई हो, पर विचार करना।
- कृपया ध्यान दें कि अंतरिम लाभांश, यदि कोई हो के लिए शेयरधारकों की पालता का निर्धारण करने के उद्देश्य से 15 दिसंबर, 2020 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया गया है।
3. लाभांश प्राप्त करने के लिए अधिकार-पत्र रजिस्टर करने का तरीका:
 - (क) किंजिकल रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विस्तरित सेवा (ईसीएस) या किसी अन्य माध्यम के द्वारा सीधे अपने बैंक खातों में लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार-पत्र में संशोधन या बदलाव नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी पूरा विवरण कंपनी को भेजकर इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैडेट से अद्वगत कराएं। कंपनी का ईमेल है- goodyearindia_investorcell@goodyear.com या आरटीए srikant@skylinerta.com पर करें।
 - (ख) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैडेट में सुधार करें।
4. वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से, लाभांश की आय पर टैक्स कट कर सदस्यों को मिलेगी। और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश से ल्रोत (टीडीएस) पर कर में कटौती करेगी। विभिन्न बैंगियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे वित्त अधिनियम 2020 और इसमें संशोधन करें। सदस्यों से अनुरोध है कि अपने पैन नेबर के बारे में, अगर कोई संशोधन है, तो कंपनी को इसकी सूचना दें या उसकी आरटीए को (किंजिकल शेयरों के मामले में)। आप इस पते पर ईमेल भेज सकते हैं- goodyearindia_investorcell@goodyear.com या srikant@skylinerta.com और डिपोजिटरी पार्टिसिपेट (डीमैट शेयरों के मामले में)।
5. बैंक खातों का विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण, कंपनी किसी भी सदस्य को लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने में असमर्थ होती है, तो कंपनी ऐसे शेयरधारक को ढाक द्वारा लाभांश वारंट प्रेषित करेगी।
6. सेवी द्वारा जारी आदेश-पत्र के अनुसार, वे सदस्य, जिन्होंने अभी तक अपने शेयरों को ही-मटीरीलाइज़ नहीं किया है, से अनुरोध किया जाता है कि वे ऐसा कर लें और डिपोजिटरी पार्टिसिपेट के माध्यम से अपना शेयर सर्टिफिकेट भेजें, जिसके साथ उन्होंने कंपनी के आरटीए में ही-मटीरीलाइज़ेशन खाता खोला है।
7. इस सूचना में निहित जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.goodyear.co.in/investor-relations के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

गुडइयर इंडिया लिमिटेड के लिए

दिनांक: 02 दिसंबर, 2020

स्थान: नई दिल्ली

सोनाली सन्ना

हेड-लीगल, अनुपालन एवं कंपनी सचिव

